न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 109/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. भगवानाराम पुत्र मानाराम		1. रामाराम पुत्र धर्माराम निवासी-- चवानाडिया, तहसील–बायतू
2. धूडीदेवी पत्नि मानाराम		2. मगाराम पुत्र शेराराम
3. चैनाराम पुत्र खरथाराम		3. ठाकराराम पुत्र शेराराम
4. गोपूराम पुत्र खरथाराम		4. भूराराम पुत्र शेराराम
5. करनाराम पुत्र डालूराम		5. चैनाराम पुत्र शेराराम
6. केसी पत्नि डालूराम		6. शेराराम पुत्र मानाराम(मृतक वर्ष–2015)
7. हडमानराम पुत्र विशनाराम		7. विशनाराम पुत्र सोनाराम(मृतक वर्ष–2013)
8. लाखाराम पुत्र विशनाराम		8.
9. हीरोदेवी पत्नि विशनाराम		
10. हुकमाराम पुत्र अमराराम		
11. मोहनराम पुत्र अमराराम		
12. सूजाराम पुत्र नवलाराम		
13. शंकराराम पुत्र भगवानाराम		
14. लाछीदेवी पत्नि भगवानाराम		
15. देवाराम पुत्र लूम्बाराम		
16. निम्बाराम पुत्र लूम्बाराम		
17. धाईदेवी पत्नि लूम्बाराम		
18. भारमलराम पुत्र लिखमाराम के का. मु.:— अचलाराम, बांकाराम, करनाराम श्रीमती झीमोदेवी पत्नि भारमलराम सभी निवासी–शम्भूसर, ग्राम पंचायत भीयाड तहसील–शिव, बाडमेर।		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 21-01-21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 145/2020 अनवान रामाराम बनाम मगाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः—

1. श्री बी0एल0 डूडी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 19 अगस्त, 2021

1. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या एक रामाराम ने एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी हेतु उपखंड अधिकारी शिव जिला बाडमेर के समक्ष पेश कर अपील खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा नं. 1072/915 रकबा 63.02 बीघा किस्म ग्राम शंम्भुसर, तहसील शिव में आया हुआ है। उक्त रेस्पोडेन्टस/अपीलान्टस उक्त खेत के

19/8/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

पडौस में स्थित है तथा वे अपने अपने खेतों पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या एक रामाराम व उपरोक्त अन्य खातेदारान के खेतो के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से विप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण सेंढा तोडकर उनके खेत में जबरन कब्जा व झगडा करने पर उतारू रहते है। अप्रार्थी संख्या एक रामाराम द्वारा पूर्व में कई बार सीमाज्ञान करवाकर विवाद निपटने की कोशिश की परंतु वादग्रस्त सीमाज्ञान में कोई स्थाई चिन्ह स्थापित नहीं होने से व सेंढा बिखर जाने का फायदा उठाकर विप्रार्थीगण बार–बार प्रार्थीगण के खेत पर कब्जा करने पर उतारू है। इस विवाद के हल के लिए स्थाई नेखम हेतु उक्त आवेदन पेश करने पर उपखंड अधिकारी शिव जिला बाडमेर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक रामाराम के आवेदन पर विप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के पश्चात अपीलार्थीगण/विप्रार्थी संख्या 1 से 24 के नोटिस तामिल मान एकपक्षीय कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या एक के खेत खसरा भूमि को वर्तमान मानचित्रो के आधार पर तथा लैण्ड रैकार्डस रूल्स 1957 के नियम 34(3) की प्रकिया अपनाते हुए भू अभिलेख निरीक्षक भीयाड को 500 रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड तलब किया गया। तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता को सुना गया।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय न पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, कानूनी तथ्यो एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर प्रस्तुत दस्तावेजों का परस्पर मूल्यांकन नही कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अपीलार्थीगण/विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल बाबत् प्रस्तुत रजिस्टी रसीद को ही तामीली रिपोर्ट मानकर विप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की तामिल पूर्ण मान अपीलार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आवेदन स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या एक रामाराम के राजस्व आवेदन मे अंकित विप्रार्थीगण संख्या 15 शेराराम पुत्र मानाराम व 16 विशनाराम पुत्र सोनाराम की रजिस्ट्री रसीद के जरिये तामिल पूर्ण मानी गई है। जबकि शैराराम एवं विशनाराम का देहान्त कई वर्ष पूर्व ही हो चुका था, ऐसे में अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से अशुद्ध व मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व सहायक कलेक्टर शिव के समक्ष बंटवाडा हेतु आवेदन किया जिस पर जारी डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय तत्पश्चात राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती दी गई जो वर्तमान में विचाराधीन भी है। ऐसे में उक्त खसरान भूमि सामलाती ही मानी जायेगी जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी रामाराम के द्वारा सम्पूर्ण तथ्य छुपाते हुए अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश के द्वारा नेखमबन्दी/पत्थरगढी के आदेश पारित करवा लिये गये है। यदि कोई भूमि विवादित होती है तो उस खसरे के खातेदारान के अतिरिक्त अन्य पडौसी खसरो के खातेदारान को सुनवाई का पर्याप्त दिया जाना आवश्यक होता है जो अपीलाधीन कार्यवाही में नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त पत्थरगढी कार्यवाही करने से पूर्व कोई सीमाज्ञान की रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों के तलब नहीं की गई और न ही मूल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया है। अतः अपीलार्थीगण की

19/8/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अपील स्वीकार की जावे एवं उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.1.2021 व 28.1.2021 को निरस्त किया जावें।

5. हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा अपने खेत खसरान खसरा नं. 1072/915 रकबा 63.02 बीघा किस्म ग्राम शंम्भुसर, तहसील शिव में भूमि की नेखमबन्दी/पत्थरगढी करवाने हेतु उपखंड अधिकारी शिव जिला बाडमेर के समक्ष पेश किया जिस पर उपखंड अधिकारी शिव जिला बाडमेर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक रामाराम के आवेदन को स्वीकार करते हुए विप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के पश्चात अपीलार्थीगण/विप्रार्थी संख्या 1 से 24 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस के अनुसार तामिल पर्याप्त मान उन्हे अनुपस्थित बताते हुए एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या एक के आवेदन को स्वीकार किया है।

6. अपीलान्ट का अधिनस्थ न्यायालय के पारित आदेश बाबत मुख्य आपत्ति यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि के पडौसी खातेदारान को जो रजिस्टर्ड नोटिस की तामील को पर्याप्त मानते हुए उनको अनुपस्थित मान कर एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने का कथन किया है तथा भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर प्रकरण विचाराधीन होना, सहखातेदार शेराराम पुत्र मानाराम, तथा विशनाराम पुत्र गेनाराम का पूर्व में ही देहान्त हो जाना बताया एवं विशनाराम पुत्र सोनाराम का कोई पडौसी नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व सभी पडौसी खातेदारान को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दे का उल्लेख किया है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अधिनस्थ न्यायालय को इन सभी उपरोक्त ऑब्जर्वेशन पर विचार करने, वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के पश्चात विधि अनुरूप नये सिरे से आदेश जारी किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2021 व 28.01.2021 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाकर उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सभी ऑब्जर्वेशन पर विचार करने, वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के पश्चात, सभी हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई व अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त विधि अनुरूप पुनः आदेश जारी किये जाने हेतु निर्णय आज दिनांक 19.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/8/2021

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर,
जोधपुर